न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं. उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारीः–रमेश देव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद : बाबत इस्तकरार हक

नम्बर मुकदमा – 126/2021 निर्णय दिनांकः–14.10.2022

हर्ष पारिक पुत्र प्रेम कुमार जाति ब्राहम्ण सा. नगराना तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

– वादी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1 सुमनदेवी पत्नी प्रेम कुमार जाति ब्राहम्ण सा. कर्मगढ तह. व जिला सिरसा

2 कर्ण पारिक पुत्र प्रेम कुमार जाति ब्राहम्ण सा. कर्मगढ तह. व जिला सिरसा

3 तहसीलदार राजस्व संगरिया तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

– प्रतिवादीगण

उपस्थित

श्री कैलास सिंवल – अधिवक्ता वादी

श्री हरबन्स सिह – अधिवक्ता प्रति स. 1 व 2

निर्णय

उक्त अनुवानी वाद पत्र वादी की तरफ से जरिए वकील उक्त तथ्यों के आधार पर पेश किया गया कि चक 6 एन.जी.आर. खाता स. 6/24 खाता सुमनदेवी ज.स. 2072–75 में 3.859 है0 आराजी प्रति स. 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।प्रति स. 1 के नाम दर्ज उक्त आराजी हमारी जद्दी जायदाद है।जिसमें वादी व प्रति स. 2 का जन्म से ही ब.हि.ब. का हक व हिस्सा बनता है।दावा की दफा 2 में दर्ज आराजी का प्रति स. 1 व 2 ने अपने समस्त हक व हिस्सा का परित्याग वादी के पक्ष में कर दिया है। अतः उक्त आराजी मे प्रति स. 1 व 2 का कोई हक व हिस्सा शेष नही है।वादी ने प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वे वादी को दावा की दफा 5 के अनुसार खातेदार काश्तकार मान लो व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम अंकन करवा देवे तो प्रतिवादीगण इस पर स्पष्ट इंकारी हो गये। बस यही वाद कारण है। अतः वादी को चक 6 एन.जी.आर. खाता स. 6/24 खाता सुमनदेवी ज.स. 2072–75 में 3.859 है0 आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खाता से प्रति स. 1 का नाम कलमजन किया जावे।

14/10/22

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

उक्त वाद पेश होने पर तथा सीगेदार की रिर्पोट होने के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रति स. 1 व 2 ने जरिये अधिवक्ता सहमति का जवाब दावा पेश किया। जो शामिल मिसल है।प्रतिस. 3 की ओर से जवाब स्टेट पेश किया गया जो शामिल मिसल है। साक्ष्य वादी में वादी हर्ष पारिक का शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. पेश किया। जो शामिल मिसल है।

बहस अभिभाषकगण सुनी गई। वादी अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि वादी व प्रतिवादीगण ने काशत की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परस्पर सहमति से घरू विभाजन वादग्रस्त आराजी का कर लिया है तथा उसी अनुसार मौका पर काश्त कर रहे है। कब्जा काश्त के संबंध मे कोई विवाद नही है, किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त आराजी मुताबिक बंटवारा वादी के नाम से दर्ज नही होने से खातेदारी अधिकारो पर विपरित प्रभाव पड रहा है। वादी के वाद का कोई विरोध नही है।

बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। नकल फोटोप्रति जमाबन्दी चक 6 एन.जी.आर. खाता स. 6/24 खाता सुमनदेवी ज.स. 2072–75 पेश है। जो कि प्रदर्श 1 है।वादीगण के वाद का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र का कोई विरोध नही होने से सहमती के आधार पर मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाता है कि वादी को चक 6 एन.जी.आर. खाता स. 6/24 खाता सुमनदेवी ज. स. 2072–75 में 3.859 है0 आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खाता से प्रति स. 1 का नाम कलमजन किया जावे।

निज.....X..... मुब्लिक.....X..... बाबत.....X.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ..... को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 14.10.2022 को जारी की गई।

नोटः– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामद कर दिया जावे।

14/10/22

(रमेश देव)
सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री एंव मुकदमे ईब्तदाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
अज अदालत – रमेश देव (आर.ए.एस.)

हर्ष पारिक पुत्र प्रेम कुमार जाति ब्राहम्ण सा. नगराना तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

– वादी

बनाम

1 सुमनदेवी पत्नी प्रेम कुमार जाति ब्राहम्ण सा. कर्मगढ तह. व जिला सिरसा

2 कर्ण पारिक पुत्र प्रेम कुमार जाति ब्राहम्ण सा. कर्मगढ तह. व जिला सिरसा

3 तहसीलदार राजस्व संगरिया तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

– प्रतिवादीगण

मु. स . 126/2021 दावा अर्न्तगत धारा 88 आर.टी.ए.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री कैलास सिवंल एड. वादी व श्री हरबन्स सिह एड. प्रति स. 1 व 2 पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी को चक 6 एन.जी.आर. खाता स. 6/24 खाता सुमनदेवी ज.स. 2072–75 में 3.859 है0 आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खाता से प्रति स. 1 का नाम कलमजन किया जावे।

निज.....X..... मुब्लिक.....X..... बाबत.....X.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ..... को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 14.10.2022 को जारी की गई।

नोटः– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामद कर दिया जावे।

14/10/22

(रमेश देव)
सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official